न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 82/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1. श्री उदयलाल आत्मज श्री मोडा नायक निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. श्री रूपा नायक निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. कोमल पुत्री स्व श्री देवीलाल नायक उम्र 12 वर्ष नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती राधा देवी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. गोविन्द पुत्र स्व. श्री देवीलाल नायक उम्र 8 वर्ष नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती राधा देवी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. माया पुत्री स्व. श्री देवीलाल बउम्र 16 वर्ष नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती राधा देवी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. लक्ष्मी पुत्र स्व. श्री देवीलाल नायक उम्र 14 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती राधा देवी निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री देवीलाल नायक उम्र 35 वर्ष वयस्क निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री रामेश्वर आत्मज श्री नाना उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती रूकमा पत्नी श्री भैरू नायक उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. माराम आत्मज श्री डूंगा नायक उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. अमरी पुत्री कजोड उम्र वयस्क जाति रेगर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. नन्दु बाई पत्नि कजोड रेगर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. नारायण पुत्र कजोड रेगर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. भगवानी पुत्री कजोड रेगर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. लालाराम आत्मज कजोड रेगर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश राव**

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 अनुपस्थित

पेरोकार सरकार विपक्षी क्रम 9 उप0

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 05.10.2020 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का हमीरगढ भू. अभि.निरीक्षक हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) में प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजी खसरा संख्या 1094 कुल क्षैत्रफल 1.0748 है. बारानी तृतीय व खसरा संख्या 1380/1094 रकबा 3414 है. बारानी तृतीय व आराज संख्या 363,364,365,366,380 कुल किता 06 कुल रकबा 1.3784 है0 व आराजी 1092 रकबा 0.6828 बारानी तृतीय, आराजी संख्या 1093 रकबा 0.3414 बारानी तृतीय, कुल किता 02 कुल रकबा 1.0242 है. आराजी संख्या 1415/1119 रकबा 0.4552 बारानी तृतीय, कुल किता 01 कुल रकबा 0.4552 है. कुल किता 10 कुल रकबा 3.9326 है. भूमि स्थित है । जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायात 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात 1094 में काश्त करने के लिए प्रार्थीगण के विपक्षीगण की आराजीयात मे से होकर गुजरते है व आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी संख्या 1093 व 1092 एवं 1380/1094 से होकर गुजरते है जो ग्राम तख्तपुरा से दक्षिण दिशा में जाने वाला आम रास्ता जो हवाई पट्टी जाने वाले मार्ग से लगा हुआ होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगध अपने कृषि भूमि आराजियात में जाने का रास्ता है तथा प्रार्थीगण के खेतो में जाने का रास्ता से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 की आराजीयात संख्या 1093 व 1092 एवं 1380/1094 की पश्चिम दिशा में खेत के किनारे पर बनी हुई मेड से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में आते जाते है जो 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ होकर गाडी गडार बनी हुई है जिसमें प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के जीवनकाल से ही अपने बेलगाडी, संज, ट्रक्टा मय ट्रोली इत्यादि कृषि उपयोग उपभोग मे आने वाले समस्त कृषि उपकरण इत्यादि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते व मार्ग के अलावा प्रार्थीगध की आराजी 1094 में आने जाने व कृषि काश्त करने व उपयोग उपभोग करने के लिए एक मात्र आने जाने हेतु अन्य रास्ता मौजुद नही है।

प्रार्थीगण के उक्त आराजीयात में कृषि कार्य के उपयोग उपभोग में आने जाने का एक मापत्र रास्ता व अत्यंतित आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है लेकिन विपक्षीगण की नियम में फितुर पैदा हो जाने से व प्रार्थीगण की आराजीयात 1094 को हडप करने के आशय से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गये है। प्रार्थीगण विपक्षीगण को सहमति से राजस्व रेकार्ड में नक्शा तरमीम/दर्ज करवाने व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे व इस हेतु अन्तिम बार दिनांक 10.09.2020 को भी कहा लेकिन

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़,भीलवाड़ा

विपक्षीगण साफ तोर से इन्का हो गये है इस कारण से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नोबत पेशी आयी है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधीवक्ता द्वारा दिनांक 29.12.2021 को प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 संपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया गया जिसे दिनांक 17.05.2022 को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया गया।

न्यायालय द्वारा नियत सुनवाई दिनांक 12.01.2020 पर तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार हमीरगढ मार्फत भू0अ0नि0 हमीरगढ से तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट भू0अ0नि0 प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में हल्का भू0अ0नि0 हमीरगढ द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा तख्तपुरा स्थित आ.न. संख्या 1468/1095 में से 580 व.मी. (0.0580है0), आ.न. 1093 में से 75 व.मी(0.0075है.) एवं 1380/1094 में से 160 व.मी. (0.0160है0) हैक्टयर कुल 0.0815है. भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी आ.न. संख्या 1468/1095 में से 580 व.मी.(0.0580है0), आ.न. 1093 में से 75 व.मी(0.0075है.) एवं 1380/1094 में से 160 व.मी.(0.0160है0) हैक्टयर कुल 0.0815है. रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 0.0815है0 हैक्टयर का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ.नि. द्वारा स्थित आ.न. संख्या 1468/1095 में से 580 व.मी(0.0580है0), आ.न. 1093 में से 75 व. मी(0.0075है.) एवं 1380/1094 में से 160 व.मी.(0.0160है0) हैक्टयर कुल 0.0815है0 भूमि किस्म बारानी ııı दर्ज रेकार्ड है, इसलिए रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1094 रकबा 1.0748है0 भूमि आने जाने के लिए आ.न. 1468/1095 में से 580 व.मी. (0.0580है0), आ.न. 1093 में से 75 व.मी(0.0075है.) एवं 1380/1094 में से 160 व.मी. (0.0160है0) हैक्टयर कुल 0.0815है0 भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल—दरामद तहसीलदार हमीरगढ द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1468/1095, 1093, 1380/1094, के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार हमीरगढ के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टयर अनुसार रकबा 0.0815है0 मालियत राशि की दोगुनी राशि (0.0815 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:03:38 IST
Reason: SelfAttested